निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1203) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

4 सितम्बर 2015

सं० 1772—श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, ततमा टोली, भट्ठा बाजार, पूर्णिया पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3100 है। इस न्यास के न्यासधारी महंत रामचन्द्र दास जी का देहान्त दिनांक 07.03.2013 को हो गया। महंत रामचन्द्र दास के देहावसान के पश्चात् श्री प्रेम दास महात्यागी को पर्षदीय आदेश ज्ञापांक–1367, दिनांक 29.10.2013 द्वारा स्व0 रामचन्द्र दास के स्थान पर पर्षदीय संचिका में इनका नाम चढ़ाया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि यदि दिनांक 07.03.14 तक कोई दूसरा दावेदार उपस्थित नहीं होता है, तो इनकी न्यासधारीता को स्थायी माना जायेगा। इसके आलोक में पर्षदीय आदेश पत्रांक–1215 दिनांक 15.12.2014 द्वारा, चूंकि न्यासधारी पद पर मान्यता हेतु कोई दूसरा दावेदार उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए श्री प्रेमदास महात्यागी उर्फ मौनी बाबा की न्यासधारिता को स्थाई किया गया।

महंत प्रेमदास महात्यागी उर्फ मौनी बाबा ने दिनांक 06.07.2015 को एक आवेदन पत्र पर्षद में दाखिल किया है जिसमें निवेदन किया है कि श्री राम जानकी मंदिर के धार्मिक कार्यो को सुचारू रूप से निष्पादन करने, इसके प्रांगण के रख–रखाव, सुरक्षा एवं सम्पूर्ण विकास हेतु दिनांक 05.07.2015 को हुई आम सभा की बैठक के निर्णयानुसार एक न्यास समिति का गठन किया जाय।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस न्यास की सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0 43(द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, ततमा टोली, भट्टा बाजार, पूर्णिया की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा सर्वांगीण विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा उसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, न्यास योजना"** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, न्यास समिति ततमा टोली, भट्टा बजार, पूर्णिया होगी"** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व ठाकुरबाड़ी में परम्परागत पूजा–अर्चना, राग–भोग, उत्सव–समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

4. ठाकुरबाड़ी परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।

5. ठाकुरबाड़ी में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

6. न्यास समिति के आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

7. ठाकुरबाड़ी में आने वाले आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों त्योहारों आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।

8. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दों के हस्ताक्षर से होगा।

9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी।

10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय–व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।

11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः ठाकुरबाड़ी परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार अवश्य होगी।

13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15. उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1) महामंडलेश्वर श्री महंत प्रेम दास महात्यागी	–	अध्यक्ष
(2) श्री रोहित यादव, पिता–स्व0 हरिश्चन्द्र यादव	–	उपाध्यक्ष
(3) संत मुरारी दास त्यागी, गुरू श्री महंत प्रेमदास त्यागी	–	सचिव
(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पिता– स्व0 रामानन्द साह	–	कोषाध्यक्ष
(5) श्री रंजन सिंह, पिता– स्व0 ईश्वरदेव सिंह	–	सदस्य
(6) श्री चन्द्रशेखर वर्मा, पिता– स्व0 रामदेव प्रसाद वर्मा	–	सदस्य
(7) श्री कृष्णानंद महतो, पिता–स्व0 सूर्य नारायण महतो	–	सदस्य

उपर्युक्त सभी ग्राम–ततमा टोली, भट्टा बाजार, जिला– पूर्णियाँ–854301।

यह योजना दिनांक 07.09.2015 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1203-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in